राजस्थान सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी–सुश्री महिमा कसाना, आई.ए.एस.

1. राजस्व वाद संख्या– 30/2023
2. जी0सी0एम0एस0 संख्या– 2023/137
3. दायर दिनांक–15.06.2023
4. निर्णय दिनांक– 8-11-2024

उनवानी–

1. लक्ष्मीनारायण पुत्र माधू
2. किशनलाल पुत्र माधू (फौत)
   - 2.1 रेखा देवी पत्नि स्व0 किशनलाल
   - 2.2 हेमलता पुत्री स्व0 किशनलाल
   - 2.3 प्रेमलता पुत्री स्व0 किशनलाल
   - 2.4 पूजा पुत्री स्व0 किशनलाल
   - 2.5 दीपा पुत्री स्व0 किशनलाल
   - 2.6 कुशलपाल पुत्री स्व0 किशनलाल
3. सुन्दरलाल पुत्र माधू (नाऔलाद फौत)

सर्वगण जाति भांभी, सर्वनिवासी ग्राम काकनियावास तह0 रूपनगढ़ जिला अजमेर

....प्रार्थीगण

बनाम

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर

....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राज0 अधिनियम 1956

निर्णय

उपस्थिति– 1. श्री जितेन्द्र प्रजापति प्रार्थी
2 पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम काकनियावास पटवार हल्का बुहारू भू–अ0नि0 क्षेत्र हरमाड़ा तहसील रूपनगढ़ में स्थित हैं जिसके वर्तमान राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी अनुसार खाता संख्या नया 328 के ख0न0 374 व खाता संख्या 329 के ख0न0 692/376 प्रार्थीगण के पूर्वजों की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात थी। प्रार्थीगण के पिता माधु के देहान्त के पश्चात विरासत नामान्तरकरण दर्ज किया गया। उक्त नामान्तरकरण में प्रार्थीगण का नाम लिपिकिय त्रूटि के कारण खाता संख्या 328 के ख0न0 374 पर किशना, बंशी व सूण्डया पुत्रान माधू दर्ज कर दिया गया। इसी प्रकार खाता संख्या 329 के ख0न0 692/376 में पप्पू, विश्राम व सुण्डा पुत्रगण माधू दर्ज कर दिया गया है। जो कि प्रार्थीगण के घरेलू उपनाम है। जबकि वास्तविक स्थिति में रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम किशनलाल, लक्ष्मीनारायण व सुन्दरलाल पुत्रगण माधू दर्ज किया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों से उक्त त्रूटि सहवनवश से हुई लिपिकिय त्रुटि के अन्तर्गत आता है जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष पेश प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के समय प्रार्थीगण नाबालिग व अबोध थे तत्समय सगे संबंधियों द्वारा उक्त गलत नाम विरासत में दर्ज हो गये जिससे प्रार्थीगण को राजस्व संबंधी कार्यो में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम काकनियावास पटवार मण्डल बुहारू तहसील रूपनगढ़ में प्रार्थीगण ही खातेदार काश्तकार है अन्य कोई खातेदार अथवा कोई व्यक्ति नही है। उक्त आराजी प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है। प्रार्थीगण की ओर से निवेदन हैं उक्त प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त त्रुटि को दुरूस्त करवाये जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जरिये सम्मन की गयी। अप्रार्थी को सम्मन तामिलशुदा प्राप्त। प्रकरण में पैरोकार सरकार तहसीलदार रूपनगढ़ की ओर से जवाब पेश किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार

राजस्व प्रार्थना में वर्णित ख0न0 374 वर्किंग जमाबंदी संवत् 2041 में सुन्डया, किशना, बंशी पिता माधु भांभी सा0 देह खातेदार दर्ज है इस प्रकार ग्राम काकनियावास के ख0न0 वर्तमान 692/376 वर्किंग जमाबंदी के ख0न0 376/4 नामा0 संख्या 208 दिनांक 19.7.1984 के अनुसार सुण्डा, विश्राम, पप्पू पिता माधू कौम बलाई सा0देह खातेदार के नाम से दर्ज है। उक्त नामान्तरकरण आवंटन आदेश से दर्ज किया गया है अतः संवत् 2041 वर्किंग जमाबंदी में प्रार्थीगणों के दर्ज नाम ही जो वर्तमान ख0न0 692/376(376/4) में आवंटन नामान्तरकरण से दर्ज हुआ है जो आज भी वर्तमान जमावन्दी में दर्ज है। ग्राम काकनियावास ख0न0 374 की एकीकरण जमाबन्दी के खाता संख्या 190 में ख0न0 374 रकबा 15 बीघा पर माधु वल्द हरदेव कौम भांभी साकिन अलाटी दर्ज है। इसके पश्चात माधु की विरासत नामान्तरकरण दर्ज होते हुए सुन्डया, किशना, बंशी पिता माधु कौम भांभी सा0 देह गैर खातेदार दर्ज होकर वर्ष 1978 में खातेदारी अधिकारी प्रदान किये। प्रार्थीगण राजस्व प्रार्थना पत्र अनुसार वंशी व सूण्डया पुत्र माधू भांभी पप्पू, विश्राम, सूण्डा पिता माधू भाम्भी के स्थान पर सुन्दलाल, किशनलाल, लक्ष्मीनारायण पिसरान माधू भाम्भी की दुरूस्ती चाही है। चूंकि प्रार्थीगणों के आवंटन के नामों में व विरासत से दर्ज नामों मे ही भिन्नता है व जो दुरूस्ती चाही गई है उन नामों का आवंटन के समय या विरासत के नामों से काफी भिन्नता होने व रिपोर्ट पटवारी हल्का बुहारू व साविक रिकार्ड अनुसार राजस्व प्रार्थना पत्र में चाहे गये नाम को दुरूस्त किया जाना संभव नहीं है।इसलिये प्रार्थना पत्र को निरस्त करने की कृपा करे।

प्रकरण में वकील प्रार्थी व पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों का दोहरान करते हुए निवेदन किया कि जमाबंदी नकल में गलत नाम दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वास्तविक व सही नाम का इन्द्राज करवाने की कृपा करावें। तहसीलदार रूपनगढ़ ने जवाब के कथनों को बहस के तथ्य समझे जाने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन व बहस पर मनन किया। चूंकि प्रार्थीगण के नामों में काफी भिन्नता होने व तहसीलदार रूपनगढ़ की रिपोर्ट में प्रार्थना पत्र के स्वीकार करने बाबत् अनुशंषा नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 8-11-24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

महिमा कसाना
(आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)